न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **21/2016** आवंटन निरस्ती

श्री विजयलाल पिता भीमलाल जी ब्राम्हण भलावत, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री शोभालाल पिता जयकिशन ब्राम्हण भलावत निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराने हेतु

उपस्थितः 1. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भुरालाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—26.12.17

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मेनार पटवार हल्का मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज. में आ.नं. 4321 रकबा 12 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी का नाम अंकित हैं। वर्णित भूमि पहले बिलानाम गैर काबिल काश्त थी जिसमें से 12 बिस्वा भूमि कार्यालय उपजिलाधीश वल्लभनगर के आवंटन आदेश दिनांक 14.12.78 से जयकिशन पुत्र उदा जी ब्राम्हण के नाम आवंटन की गई जब कि उक्त आराजी पर जयकिशन आवंटी का पहले भी कोई कब्जा नहीं था और इस भूमि पर प्रार्थी एवं उसके सहखातेदारान की आराजी नम्बर 4322 है जिस पर आने जाने बैलगाड़ी, हंज, सामद, ट्रैक्टर, मवेशी, पैदल आदि का पुराना सदिप का कदीमी रास्ता हैं। इस रास्ते की भूमि को जयकिशन ने गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर फर्जी रूप से फसल लिखवाकर कागजी आवंटन करा ली जब कि उक्त 12 बिस्वा भूमि में से 2 बिस्वा भूमि तो जयकिशन के वारिस विपक्षी ने अपने खेत में मिला रखी है एवं 10 बिस्वा भूमि में खडडा, पैड, झाड़िया, ओडी का मलवा एवं रास्ता हैं। जनवरी 2016 मे प्रार्थी विजयलाल की

भूमि के तारबन्दी के खम्भे विपक्षी व उसके पुत्र तुलसीराम द्वारा उखाड़ने, रास्ते की भूमि को ट्रैक्टर से हांकने का प्रयास किया तो थाने पर कार्यवाही कराने से पता चला जिस पर दिनांक 29.03.16 को प्रार्थी विजयलाल ने तहसीलदार वल्लभनगर को एक लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का ने 16.05.16 को मौका पर्चा बनाया जिसमें भी प्रार्थीगण ने कथन की पुष्टि होती हैं। उक्त आवंटित भूमि मौके पर पड़त है काश्त नही है। पटवारी हल्का ने दिनांक 16.05.16 को विपक्षी की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाया और पाबन्द किया कि रास्ता बन्द मत करना। आवंटी जयकिशन का निधन हो जाने के बाद विरासत से उक्त भूमि विपक्षी के नाम अंकित हुई हैं। भूमि से लगी हुई प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 4322 स्थित है और जिसमें आने जाने का एक मात्र रास्ता आवंटित आराजी नम्बर 4321 में होकर इस स्थिति का नाजायज लाभ उठाने के लिये तथा प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन से दुर्भावनावश वंचित करने की नियत से राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर विपक्षी नम्बर 1 के पिता जयकिशन ने आराजी संख्या 4321 को कागजो में आवंटित करवा कर रख लिया। उक्त आवंटन भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 19 के विपरीत हैं। इस नियम के अनुसार आराजी संख्या 4321 जो कि एक छोटी पट्टी है का आवंटन उससे लगते सभी पड़ौसियों में से किसी एक को किया ही नही जा सकता। वक्त आवंटन, आवंटन कमेटी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया की आक्षेपित आवंटन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के बिल्कुल पास में किया जा रहा हैं। आवंटन कमेटी द्वारा मौके की सही रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई और नाही राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सही रिपोर्ट पेश की गई। इस प्रकार प्रार्थी की पीठ पीछे विपक्षी संख्या 1 के पिताजी ने धोखे से एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से जो आवंटन कराया है वह गलत अवैध एवं नियम विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य हैं। नियम 13 के अनुसार कोरम भी पूर्ण नहीं होकर इसकी बैठक का कोई नोटिस नियम 13 (2) के अनुसार जारी नहीं हुआ और यह गुपचुप बैठक करके आवंटन कर दिया गया हैं। बैठक विवरण अनुसार केवल उपखण्ड अधिकारी और सरपंच ने मिलकर आवंटन कर दिया जब कि कम से कम तीन जनो का कोरम होना चाहिये। उपखण्ड अधिकारी को आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है उसे केवल इस समिति की अध्यक्षता करने का अधिकार हैं। वादग्रस्त आवंटन के समय उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति कोरम के सदस्य के रूप में नहीं मानी जा सकती। बैठक दिनांक 14.12.78 में कोरम के प्रमुख सदस्य अनुपस्थित थे। जयकिशन विपक्षी संख्या 1 के पिता होकर उनको आवंटन किया गया था लेकिन श्री जयकिशन जी का देहान्त हो जाने के कारण वह भूमि अब विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हो गई है इस कारण उसे मुल आवंटी के स्थान पर पक्षकार बनाया जा रहा हैं। भूमि को छल कपट एवं धोखे से हड़पने की बदनियत से विपक्षी के पिता जयकिशन ने दिनांक 17.12.78 को गलत रूप से आवंटन करा ली। आवंटन के मूल आवेदन पत्र में आवेदन में जयकिशन के नाम 27 बिघा भूमि बरानी एवं पिवल अंकित थी और आवंटी भूमिहीन नही था जिससे भी उक्त आवंटन विधि के प्रावधानो के विपरीत होकर

उक्त आवंटन नियमो की आवंटी ने कोई पालना नहीं की हैं। कथित आवंटन का पहली बार ज्ञान प्रार्थीगण को दिनांक जनवरी 2016 में हुआ जब विपक्षी उक्त भूमि को जबरन ट्रैक्टर से हाक दिया व पेड़ उखाड़ दिये। प्रार्थी ने आवंटन आदेश की वांछित नकले दिनांक 16.08.16 को प्राप्त की और नकले प्राप्त करते ही जानकारी एवं नकल मिलने की दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा हैं। अतः आवंटी जयकिशन पुत्र उदा जी ब्राम्हण के नाम वर्णित आराजी बाबत दिनांक 14.12.78 को हुए कागजी आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेनार की आराजी संख्या 4321 रकबा 12 बिस्वा विपक्षी संख्या 1 के पिता जयकिशन पुत्र उदाजी ब्राम्हण के नाम दिनांक 14.12.78 को विधिवत आवंटन हुई हैं। प्रार्थी का यह कथन कि इस भूमि का उपयोग कदीम से रास्ते के रूप में किया जाता रहा है जो वैध रूप से सही नहीं हैं। जयकिशन जी की मृत्यु के बाद में उनके वैध वारीसान के नाते विपक्षी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में जो भी कथन किये गये है वह मनगढंत व झुठे किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से प्रार्थी की अनुपस्थिति में पर्चा मौका बनवा लिया जो अवैध होकर पूर्ण रूप से शुन्य प्रभावी हैं। आवंटीत भूमि मौके पर पड़त नहीं होकर काश्त की जा रही हैं। राजस्व नक्शा ट्रेस से भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस भूमि का उपयोग कभी भी आवागमन के रूप में नहीं किया गया। विपक्षी को भूमि का आवंटन नियमानुसार सारी प्रक्रिया अपनाकर ही वैध तरीके से हुआ हैं। सम्वत 2033 के पूर्व से ही इस भूमि पर काश्त उड़द, ज्वार, गेहूँ आदि की फसल होती रही हैं। मात्र भेरूलाल द्वारा आपस में मिलकर षड्यंत्रपुर्वक तरीके से दुरभीसंधी कर विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 4321 को हड़प करना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा माननीय वरीष्ठ सिविल न्यायाधीश वल्लभनगर के न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया गया जहॉ से भी उन्हे कोई सफलता नहीं मिलने से विपक्षी को परेशान करने की नियत से यह झूठा प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के पिता को मौजा मेनार की आराजी संख्या 4321 रकबा 12 बिस्वा भूमि विपक्षी के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर गुपचुप तरीके से फर्जी रूप से आवंटन करवा ली गई। जबकि उक्त भूमि का उपयोग कदीम से आने जाने बैलगाड़ी हज सामद ट्रैक्टर मवेशी पैदल आदि आने जाने हेतु किया जाता रहा हैं। इस भूमि पर विपक्षी के पिता एंव उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। नाही आवंटन शर्ता की विपक्षी द्वारा पालना की गई। मात्र प्रार्थीगणो को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन से दुर्भावनावंश वचित करने की नियत से राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर विपक्षी के पिता जयकिशन जी ने कागजो में नुमाईशी आवंटन

करवा दिया गया। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन करने से पूर्व कभी भी पड़ौसियो से इस संबंध में नहीं पुछा कि छोटी पट्टी का आवंटन विपक्षी को किया जा रहा हैं। आवंटन कमेटी द्वारा मौके की सही रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई नाही राजस्व कर्मचारी द्वारा सही रिपोर्ट पेश की गई। इस प्रकार प्रार्थी की पीठ पीछे विपक्षी संख्या 1 के पिता जी ने धोखे व मिसरिप्रजेन्टेशन से रास्ते की भूमि का गलत अवैध एवं नियम विरूद्ध आवंटन करवा दिया गया जिसे अपास्त करना फरमावें। वक्त बहस विद्ववान अधिवक्ता द्वारा पटवारी हल्का मेनार द्वारा कारित पर्चा मौका दिनांक 16.05.16 एवं मौके के फोटोग्राफ्स, नक्शा ट्रेस इत्यादि की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के पिता जयकिशन जी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन विधिवत उनके आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 14.12.78 को आवंटन कर पटवारी हल्का को आवंटीत भूमि को मौके पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा भूमि की सिपुर्दगी विधिवत आवंटी को की जाकर दखलनामा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। यानिकी कब्जा सिपुर्दगी की दिनांक से ही भूमि पर कब्जा आवंटी का रहा हैं। उनकी मृत्यु के बाद में विपक्षी संख्या 1 उनका पुत्र होने से विपक्षी संख्या 1 का रहा हैं। आवंटन के समय से ही भूमि पर बकायदा काश्त होती आ रही हैं। संलग्न खसरा गिरदावरी 2053 में मक्की गेहूँ काश्त इस आराजीयात में दर्ज हैं। संवत् 2055 एवं 2056 में भी काश्त दर्ज हैं। इसी प्रकार इस भूमि पर काश्त होती रही है जो निरंतर आज भी हो रही हैं। विपक्षी सद्भाविक काश्तकार हैं। प्रार्थी विपक्षी को येन केन प्रकारेण हैरान व परेशान करने हेतु आमादा हैं। दुर्भावनावंश यह सारी झुठी कार्यवाही कर भूमि को हड़पना चाहता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पूरी तरह से झुठे आधार पर आधारित हैं। इस भूमि का रास्ते के रूप मे कभी भी उपयोग नहीं किया जाता रहा। पटवारी हल्का द्वारा जो पर्चा मौका दिनांक 16.05.16 को बनाया गया है वह विपक्षी की अनुपस्थिति में बना हुआ हैं। 38 वर्ष पश्चात् खातेदारी से दर्ज भूमि को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी के विरूद्ध आवंटन निरस्ती की कार्यवाही किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार विपक्षी संख्या 1 के पिता जयकिशन जी को वादग्रस्त भुमि का आवंटन दिनांक 14.12.78 को उपजिलाधीश वल्लभनगर द्वारा आवंटन कमेटी सलाहकार समिति की सिफारीश पर किया जाकर विधिवत कब्जा आवंटी श्री जयकिशन जी को सिपुर्द किया गया। संलग्न खसरा जिन्स गिरदावरी में भी भूमि पर काश्त होना दर्ज हैं। खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज होने से प्रार्थी का यह कथन साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा नहीं हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी के नाम खातेदारी से दर्ज हैं। विपक्षी द्वारा इस भूमि का उपयोग उपभोग काश्त के रूप में किया जाता आ

रहा हैं। 38 वर्ष पश्चात् किसी आवंटन को निरस्त किया जाना हमारी दृष्टिकोण में किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। जहॉ तक प्रार्थी का यह कथन की इस भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में सदीप से किया जाता रहा है तो इस तथ्य के समर्थन में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में भी घोषणा व स्थायी आज्ञापक व्यादेश हेतु दावा प्रस्तुत किया हुआ हैं। आवंटन पत्रावली को देखने से यह जाहीर होता है कि आराजी संख्या 4321 रास्ते की भूमि नहीं है तथा जयकिशन जी को पूरी तरह से वैध रूप से सही आधारो पर आवंटित हुई हैं।

बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता जयकिशन जी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र पर विधिवत जॉच हल्का पटवारी द्वारा की गई। वक्त आवंटन पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि ''प्रार्थी के खसरा संख्या 4321 में रकबा 12 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा हैं। यह भूमि बिलानाम हैं। पी.14 संवत् 2034 के क्रम संख्या 21 पर अतिक्रमी का नाम अंकित हैं।'' यानिकी आवंटन की दिन विपक्षी के पिता का आवंटीत भूमि पर कब्जा था। विपक्षी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन कपट अथवा दुर्व्यपदेशन से नहीं करवाया गया हैं। ऐसा आवंटन फ्रॉड, मिस–रिप्रजेन्टेशन या नियमो के विरूद्ध नहीं कहा जा सकता हैं। प्रार्थी का यह कथन भी साबित नहीं होता है कि इस भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में किया जाता रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि आवंटन को बिना किसी वैधानिक कारण के निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर